न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 8/2022

श्री सैयद अरशदुल इस्लाम पुत्र सैयद अफजल निवासी गोल मस्जिद के पीछे टोंक राज0 ——अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार टोंक ——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 29.04.2022**

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 03.02.2022 प्रेषित/प्रस्तुत करने पर लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 125 दिनाक 15.02.2022 से लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग कलेक्ट्रट टोंक को प्रार्थना पत्र अन्तरित किया एवं लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग कलेक्ट्रट टोंक ने पत्र कमांक 995 दिनाक 16.02.2022 से लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार टोंक जिला टोंक को अन्तरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया। अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गईः—

1 किसी व्यक्ति द्वारा वक्फ कब्रिस्तान, गैर मुमकिन कब्रिस्तान व निजी कब्रिस्तान की भूमि को एग्रीमेंट द्वारा बेचान किया जा सकता है, खरीदा जा सकता है या नहीं तीनें के बारे जानकारी दे।

2 उक्त तीनों कब्रिस्तानों की भूमि में क्या—क्या अन्तर है जानकारी दे।

3 अगर किसी भी को बिना अधिकार बेचान (कय) कर दिया जाता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ क्या—क्या कार्यवाही की जा सकती है और कहॉ कार्यवाही की जा सकती है तथा किन—नियम व सर्कूलर के तहत कार्यवाही की जा सकती है उक्त नियम व सर्कूलर की प्रमाणित कॉपी उपलब्ध करवाई जावे।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार (भू.अ.) टोंक को पत्र क्रिमांक 493 दिनांक 5—04—2022 व 506 दिनांक 13.04.2022 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार (भू.अ.) टोंक द्वारा पत्र कमांक 4165 दिनांक 25—04—2022 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही सूचना

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:18:16 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

संबंध में उनके पत्र कमांक 1565 दिनांक 28-02-2022 से अपीलान्ट को सूचित किया गया है कि प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) राजस्थान सरकार, जयपुर के परिपत्र कमांक प.3 (22)प्रसु/ सू.अ.प्र./ 06 जयपुर दिनांक 02.02.2009 के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठायी गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नही है। जिसकी प्रति जवाब के साथ संलग्न की गई है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना के संबंध में सूचित किया जा चुका है । अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार (भू0अ0) टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(चिन्मयी गोपाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एवं जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:18:16 IST
Reason: SelfAttested